



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276243
CG-DL-E-16092026-276243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4834]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4834]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

का.आ. 5024(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH-561A के कि.मी. 235 से कि.मी. 274.8 तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-561A पर भूमि का अधिग्रहण ।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपजिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन क्रमांक 09, सांगली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH561A के कि.मी 235 से कि.मी 274.8 तक	महाराष्ट्र	सांगली	जत	1 उमदी 2 हळ्ळी 3 बालगाव 4 करजगी 5 बोर्गी (बु) 6 बोर्गी (खू) 7 माणिकनाळ 8 लवंगा 9 गुलगुंजनाळ 10 मोरबगी 11 मोटेवाडी 12 विठ्ठलवाडी 13 को. बोबलाद

[फा. संRO/MUM/P-37/2020-21/1963.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2026

S.O. 5024(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 235 to km. 274.8 of NH-561A in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH561A in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	Dy. Collector& LA No.09, Sangli	NH561A KM 235 TO KM 274.8	MAHARASHTRA	SANGLI	Jath	1	Umadi
						2	Halli
						3	Balgaon
						4	Karajagi
						5	Borgi (BK)
						6	Borgi (KH)
						7	Manik Nal
						8	Lavanga
						9	Gulgunjnal
						10	Morbagi
						11	Motewadi
						12	Vitthalwadi
						13	Ko. Bobalad

[F. No. RO/MUM/P-37/2020-21/1963]

SHAIKH AMINKHAN, Director